संयुक्त राष्ट्र का “शत्रु राज्य” संदर्भ: हटाने की माँग

अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ व विधि | समाचार संदर्भ: 22 सितंबर 2026

किसी प्रावधान को अप्रासंगिक मानने की राजनीतिक सहमति और उसे विधिक पाठ से हटाना अलग चरण हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की संशोधन-प्रक्रिया इसी अंतर को स्पष्ट करती है।

खबरों में क्यों

22 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने चार्टर के तथाकथित “शत्रु राज्य” संदर्भ हटाने की माँग दोहराई। जापान के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भाषण में 2005 के संकल्प का उल्लेख है। यह नई अपील है, चार्टर से संदर्भ वास्तव में हट जाने या संशोधन लागू होने की घोषणा नहीं।

यह ऐतिहासिक संदर्भ किससे जुड़ा है?

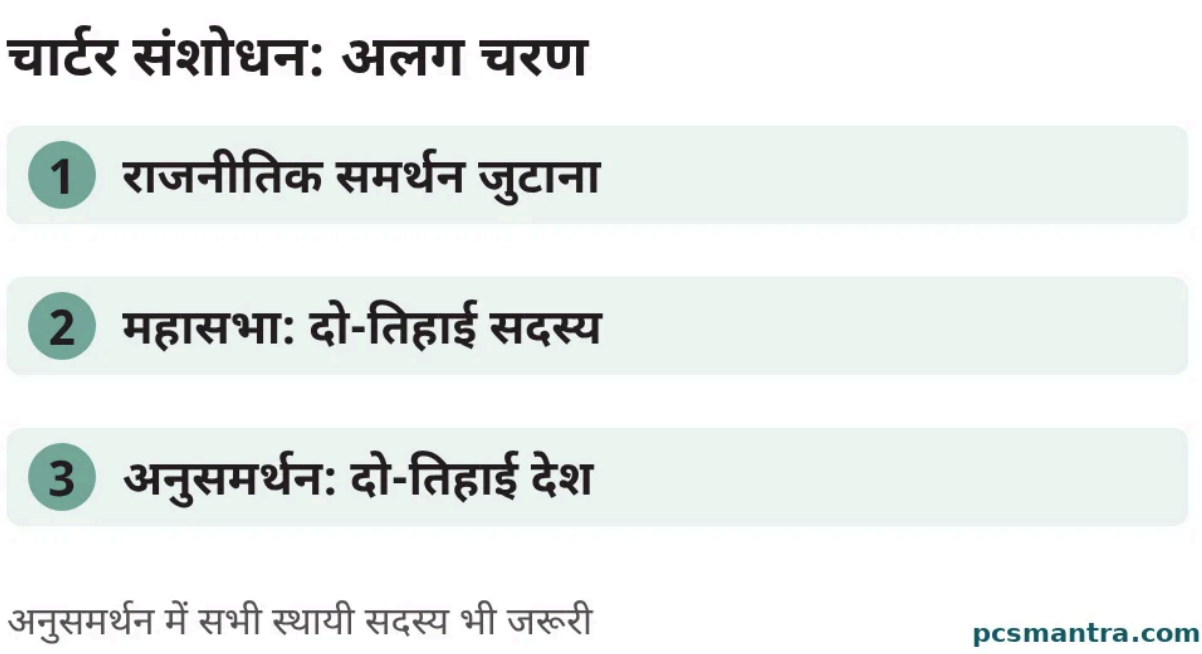
चार्टर के अनुच्छेद 53, 77 और 107 में द्वितीय विश्वयुद्ध से जुड़े “शत्रु राज्य” संदर्भ हैं। यह हर वर्तमान राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के लिए सामान्य लेबल नहीं है। इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आज की विधिक स्थिति को अलग समझना चाहिए।

मुख्य तथ्य

अलग अनुच्छेद, अलग विषय: अनुच्छेद 53 क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की प्रवर्तन कार्रवाई,77 न्यास-व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रों और 107 द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप संबंधित कार्रवाई की ऐतिहासिक व्यवस्था से जुड़ा है। इन्हें किसी भी देश पर आज स्वतंत्र आक्रमण की सामान्य अनुमति नहीं कहा जा सकता।

पहले की सहमति: संयुक्त राष्ट्र के विधिक संकलन के अनुसार 1995 में प्रावधानों को अप्रचलित माना गया और 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन परिणाम में संदर्भ हटाने का संकल्प हुआ। राजनीतिक इच्छा व्यक्त होना अपने-आप चार्टर का पाठ नहीं बदलता।

संशोधन की शर्त: अनुच्छेद 108 के अनुसार संशोधन के लिए महासभा के दो-तिहाई सदस्यों का मत और संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्यों का अपनी संवैधानिक प्रक्रिया से अनुसमर्थन जरूरी है। अनुसमर्थन में सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य शामिल होने चाहिए।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

संस्थागत सुधार का व्यापक प्रश्न

ऐतिहासिक पाठ और वर्तमान भूमिका: राज्यों की अंतरराष्ट्रीय भूमिका बदल सकती है, जबकि संस्थागत दस्तावेज में पुराने संदर्भ बने रह सकते हैं। इससे प्रतिनिधित्व, समानता और संस्था की वैधता पर प्रश्न उठते हैं।

स्थायित्व और जड़ता: कड़ी संशोधन-प्रक्रिया व्यापक सहमति सुनिश्चित करती है, पर सुधार को धीमा भी कर सकती है। स्थायी सदस्यों का आवश्यक अनुसमर्थन संस्थागत शक्ति-संतुलन का महत्वपूर्ण पहलू है।

भारत की अध्ययन-दृष्टि: इस उदाहरण से वैश्विक संस्थाओं के सुधार में समर्थन जुटाने और विधिक बदलाव लागू करने का अंतर समझा जा सकता है। किसी देश की माँग को पूरे संयुक्त राष्ट्र की अंतिम स्वीकृति न मानें।

विश्लेषण और आगे की राह

सुधार पर चर्चा में तीन प्रश्न अलग रखने चाहिए: प्रावधान आज कितना उपयोगी है, उसे हटाने पर कितनी राजनीतिक सहमति है और आवश्यक विधिक चरण पूरे हुए हैं या नहीं। अप्रचलित मानना औपचारिक विलोपन नहीं है। जापान की अपील ऐतिहासिक विरासत और वर्तमान योगदान के बीच असंगति पर ध्यान खींचती है; समाधान के लिए केवल भाषण नहीं, अनुच्छेद 108 के अनुसार अपनाने और अनुसमर्थन की प्रक्रिया चाहिए। शक्ति-संतुलन की बहस को विधिक प्रक्रिया की शुद्ध जानकारी के साथ जोड़ना जरूरी है।

अवधारणा में अंतर

अप्रचलित घोषित करना, हटाने का संकल्प लेना और संशोधन लागू होना अलग अवस्थाएँ हैं। स्थायी सदस्य का महासभा में मत और उसके देश का अनुसमर्थन भी एक ही कार्रवाई नहीं।

मेंस दृष्टि

संयुक्त राष्ट्र सुधार को केवल इच्छाशक्ति की कमी न बताएँ। आवश्यक मत, घरेलू अनुसमर्थन और स्थायी सदस्यों की विशेष स्थिति समझाएँ।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

“अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की राजनीतिक सहमति और विधिक क्रियान्वयन के बीच दूरी बनी रह सकती है।” संयुक्त राष्ट्र चार्टर की संशोधन-प्रक्रिया के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: द्वितीय विश्वयुद्ध से जुड़े चार्टर के शत्रु-राज्य संदर्भ और सितंबर 2026 में उन्हें हटाने की जापानी अपील से राजनीतिक इच्छा तथा विधिक बदलाव का अंतर रखें।

मुख्य भाग में: ऐतिहासिक संदर्भ दें; 1995/2005 की इच्छा और औपचारिक संशोधन अलग करें;अनुच्छेद108की शर्तें तथा सुधार की राजनीतिक बाधाएँ समझाएँ।

निष्कर्ष में: प्रावधान की वर्तमान उपयोगिता, राजनीतिक समर्थन और औपचारिक विधिक चरणों की अलग समीक्षा करें। अनुच्छेद 108 के अपनाने तथा सभी स्थायी सदस्यों सहित आवश्यक अनुसमर्थन का महत्व रखें; अप्रचलित मानने, हटाने के संकल्प और लागू विलोपन को एक न लिखें।

स्रोत

- जापान विदेश मंत्रालय: 22 सितंबर 2026 का महासभा भाषण
- संयुक्त राष्ट्र: चार्टर का पूर्ण आधिकारिक पाठ
- UN विधिक संकलन: अनुच्छेद107,1995और2005की पहल

याद रखें: संदर्भ हटाने की अपील, लागू चार्टर संशोधन नहीं है।